



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220330
CG-DL-E-02072020-220330

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1926]
No. 1926]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2020/आषाढ़ 11, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2020/ASHADHA 11, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जुलाई 2020

का.आ. 2180(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ऐनिलीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(2) यह आदेश 3 नवंबर, 2020 को प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. 13012/9/2018- रसा. II]

समीर कुमार बिस्वास, संयुक्त सचिव

नोट: ऐनिलीन के लिए मुख्य आदेश को 15 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 203 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****ORDER**

New Delhi, the 1st July, 2020

S.O. 2180(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25, of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) , the Central Government hereby makes the following amendment in the Aniline (Quality Control) Order, 2020, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted namely:-

“(2) This order shall come into force on the 3rd day of November, 2020.”

[F. No. 13012/9/2018- Chem. II)

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Note : The principal order for Aniline was published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 203 (E), dated the 15th January, 2020.